JAN NIRMAN KENDRA

GENDER POLICY: 2023

जन निर्माण केंद्र

Regd. & Corr. Office:

Jay Ram Nagar , New Police Line Chowk, P.O Paigambarpur Kolhua , Muzaffarpur-843108. (Bihar),

Contact Detail: -8002111668, 09470053600

Website : https://jannirman.org.in , email: jannirman10@gmail.com

जेण्डर पॉलिसी

जन निर्माण केंद्र गरीब, पिछड़े एवं वंचित वर्ग की महिलाओं के अधिकार, ढ़ांचे में जेण्डर समानता तथा महिला ि ाक्षा एवं स्वास्थ्य, आजीविका के लिए काम करती है। अपराजिता अपने कार्यस्थल में भी जेण्डर समानता मूलक वातावरण निर्माण के लिए कटीबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए **जन निर्माण केंद्र** ने जेण्डर समानता को बढ़ावा देने हेतु **जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति** का गठन किया गया है। यह समिति संस्था के अन्दर तथा कार्यस्थल के साथ एक ऐसा माहौल निर्माण करने में मदद करेगी, जहाँ पर महिला व पुरूश दोनों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने व एक दूसरे की मदद करने का वातावरण बना सके।

संस्था के नियमानुसार संस्था के अन्दर एक यौन उत्पीड़न विरूद्ध कार्य समिति होना अनिवार्य है। अतः जन निर्माण केंद्र में जेण्डर प्रोत्साहन निगरानी समिति ही यौन उत्पीड़न विरूद्ध समिति की भूमिका भी निभायेगी। यह समिति यौन उत्पीड़न के मामलों में हस्तक्षेप भी करेगी, साथ ही संस्था एवं कार्यस्थल पर इसकी निगरानी भी रखेगी।

जेन्डर समानता प्रोत्साहन समिति :

जेण्डर समानता की प्रतिबद्धता **जन निर्माण केंद्र** जेण्डर समानता पर पूरा विश्वास रखती है। **जन निर्माण केंद्र** के मिशन में भी जेण्डर समानता एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपनी संस्था में जेण्डर समानता को बनाये रखने और किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उसकी निगरानी अथवा समाधान हेतु एक जेण्डर निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें काम के निम्न आधार होंगे–

जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति की भूमिका :

- समिति संस्था के अन्दर जेण्डर समानता प्रोत्साहन हेतु पहल करेगी।
- संस्था के अन्दर जेण्डर समानता लाने के लिए नये सुझाव व कदम उठायेगी।
- समिति संस्था में आन्तरिक वातारण हेतु बनायी गयी स्टाफ पॉलीसी के आधार पर निगरानी करेगी।
- संस्था में किसी भी नयी गतिविधि या निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देगी।

संस्था के कार्यक्रम पर समिति की भूमिका :

- यह समिति नई परियोजना में जेण्डर के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव पर निगरानी करेगी
- संस्था के माहौल निर्माण प्रक्रियाओं में योगदान देना।
- कार्यकर्ताओं का ढ़ाँचा।
- नये कार्यकताओं का चयन, प्रक्रिया जैसे दलित, मुस्लीम, भिन्न रूप से अक्षम के लिए जगह/भागीदारी सुनि ित करना।
- कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास
- वेतन व्यवस्था,
- बजट आवंटन,
- नेतृत्व विकास,

JAN NIRMAN KENDRA ★ MUZAFFARPUR ★

- ☞ स्वास्थ्य तथा अन्य सहायक सेवाएं
- ☞ अन्य संस्थाओं से संबन्ध निर्माण आदि सभी में जेण्डर के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव पर निगरानी करेगी

समिति का निर्माण :

- ❖ संस्था का संचालन कमेटी, समिति के सदस्यों को आमंत्रित करेगा
- ❖ संचालन समिति इस प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष रखेगा
- ❖ बोर्ड समिति को अधिकृत करेगा
- ❖ समिति में कम से कम 5 सदस्य हों, जिसमें कम से कम 3 महिलाएं तथा कम से कम 2 पुरुष होना अनिवार्य हैं।
- ❖ समिति में कम से कम एक कार्यकर्ता तथा एक संस्था के बाहर का व्यक्ति हो जो समय दे सकें।
- ❖ समिति के सदस्य होने के लिए संस्था के कार्यकर्ता का कम से कम 5 साल का अनुभव हो व जेण्डर पर गहरी समझ हो, उन्होनें अपने स्तर पर जेण्डर समानता के लिए कोई कदम उठायें हो, तथा निजी जीवन में भी जेण्डर समानता के लिए प्रयासरत हों।
- ❖ संस्था के बाहर का वही व्यक्ति समिति के सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें कम से कम 05 साल का अनुभव हो, वे जेण्डर समानता की सोच रखते हों, जिन्होंने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में जेण्डर समानता पर पहल की हों।

समिति में सदस्य कौन हो सकते हैं :

- ❖ जिनकी जेण्डर मुद्दे पर अच्छी समझ हो
- ❖ जो पिछले कम से कम 3 वर्शो से इस मुद्दे पर काम कर रहे हों
- ❖ जिनके व्यक्तिगत जीवन में भी जेण्डर समानता दिखती हो
- ❖ 5 सदस्यों में से 3 महिला सदस्य होना जरुरी है

समिति की बैठक :

- ❖ समिति की बैठक हर वर्श अव य होगी।
- ❖ आकस्मिक एवं आव यकता होने पर समिति की बैठक कभी भी की जायेगी।

समिति की कार्यविधि :

- ❖ समिति बोर्ड को रिपोर्ट करेगी अतः प्रत्येक बोर्ड बैठक में इस समिति का एक सदस्य का आमंत्रित किया जायेगा।
- ❖ जेण्डर असमानता या यौन उत्पीड़न के घटना के बारे में इस समिति को रिपोर्ट की जायेगी और समिति उस पर निगरानी करेगी अथवा मार्गद ान करेगी।

समिति का कार्यकाल :

- ❖ समिति का कार्यकाल कम से कम तीन अधिकतम 5 साल का होगा।

JAN NIRMAN KENDRA ★ MUZAFFARPUR ★

(Anti Sexual Harassment Committee at workplace)

जन निर्माण केंद्र मानव अधिकार ढांचे में जेण्डर समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली यौनिक हिंसा की रोकथाम हेतु ९ दिसम्बर २०१३ को लागू किए गए अधिनियम **"कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम २०१३"** के संदर्भ में तथा सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करते हुए इसके दिशा निर्देश के आधार पर **जन निर्माण केंद्र** में संस्था स्तर पर यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया है।

समिति का उददेश्य– संस्था के अन्दर एक ऐसा माहौल निर्माण करने में मदद करेगी जहां महिला व पुरूष दोनो को अपनी भावनाएं व्यक्त करने व एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने का वातावरण बन सके । यह समिति यौन उत्पीडन के मामलों में हस्तक्षेप करने के साथ–साथ संस्था में इसकी निगरानी भी करेगी।

यौन उत्पीड़न विरूद्ध समिति की कार्य जिम्मेदारी निम्नलिखित होगी –

- ❖ संस्था में जेण्डर समानता के लिए बनी पॉलिसी की निगरानी का काम करना।
- ❖ यौन उत्पीड़न मामलों की निगरानी व हस्तक्षेप करना।
- ❖ संस्था के अन्दर जेण्डर समानता लाने के लिए नये सुझाव व कदम उठाना।
- ❖ आव यकता पड़ने पर प्रभावित व्यक्ति की समस्या का निवारण करना अर्थात व्यक्ति को हुए नुकसान का हर्जाना तय करना, रणनीति तय करना व लागू करना।
- ❖ संस्था में किसी भी नये कदम या निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देना।
- ❖ आव यकता पड़ने पर कार्यकर्ताओं की निजी जिन्दगी में सपोर्ट व काउसिलिंग करना।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न क्या है? कामकाजी महिला के साथ कार्यस्थल में किसी पुरूश सहयोगी का, उस महिला को उसकी इच्छा के विरूद्ध यौन भावना से संचालित किसी भी व्यवहार या हरकत को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न माना जायेगा, जैसे –

- ☞ महिला से छेड़छाड़।
- ☞ जबरदस्ती भाारीरिक सम्पर्क बनाने की **प्रयास** करना।
- ☞ गलत इरादे से महिला को छूना, बांहो में लेने की प्रयास, हाथ पकड़ना, चिपटना।
- ☞ संवेदन ाील अंगो पर हाथ फेरना।
- ☞ किसी महिला को छूना और उसे कामोत्तेजित करने के लिए **चेष्टा** करना।

JAN NIRMAN KENDRA ★ MUZAFFARPUR ★

☞ प्रणय निवेदन

☞ यौन संबंध बनाने की मांग, दबाव डालना या कोई याचना करना।

☞ आपत्तिजनक टिप्पड़ी, चुटकुले, अ लील फब्तियां, ताने मारना, दोहरे अर्थ के संवाद, गाली।

☞ अ लील फोटो, कार्टून, पोस्टर, साहित्य, एलबम, फिल्म, सी०डी० या ईमेल करना।

☞ महिला की इच्छा के विरूद्ध भारीरिक, मौखिक या अन्य किसी तरीके से यौन आचरण या संकेत।

☞ फोन पर बेहूदा संवाद वाली बात कहना।

☞ यौन इच्छा के चलते किसी महिला को परे ान करना, देर तक रोकना, काम न करने देना।

☞ तरक्की के समान अवसरों से वंचित करना।

☞ नियोक्ता द्वारा महिला को नियुक्त पत्र के साथ उत्पीड़न से जुड़ी किसी भार्त को मानने के लिए बाध्य करना।

☞ नियोक्ता द्वारा भार्त न मानने पर नौकरी से निकालने की धमकी देना।

☞ यदि कोई अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर महिला को वेतनवृद्धि, तरक्की, स्थानान्तरण, प्रि ाक्षण, विदे ा यात्रा, नौकरी का प्रलोभन दे और बदले में यौन इच्छा व्यक्त करें।

☞ यौन दुर्भावना से कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए किसी महिला को परे ान करें, उसके काम में गलतियां निकाले या असम्मानजनक भाशा में डांटे–फटकारे।

☞ महिला के पहनावा पर बेवजह तारीफ करना, जोक्स कहना।

यौन उत्पीड़न होने पर समिति की कायशैली

☺ समिति मामले में निश्पक्ष तरीके से महिला से अलग से पूछताछ करेगी साथ ही दूसरे पक्ष के पक्ष को भी सुनेगी।

☺ महिला की ि ाकायत के बाद उस पर ि ाकायत वापस लेने के लिए किसी तरह का दबाव न डाला जाये यह सुनि चत करना भी समिति का काम है।

☺ दोष सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ अनु ाासनात्मक, दंडात्मक या वैद्यानिक कार्यवाही की सिफारि ा करने का अधिकार समिति को है।

☺ यदि महिला स्वेच्छा से मांग करे तो उसे या दोषी व्यक्ति के स्थानान्तरण पर समिति को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

☺ समिति के पास आयी शिकायत और उस बारे में उठाये गये कदमों की रिपोर्ट समिति सदस्यों द्वारा तैयार की जायेगी।

यौन उत्पीड़न विरूद्ध समिति के सदस्यः–

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम
१.	श्रीमती कविता देवी	एडवोकेट, जुरन छपरा, मुजफ्फरपुर	अध्यक्ष
२.	सुश्री संध्या कुमारी	मशरुम उत्पादन केंद्र, मुजफ्फरपुर	सदस्य
३.	श्रीमती सवेरा देवी	मीनापुर, मुजफ्फरपुर	सदस्य
४.	श्री वासुदेव साह	मनियारपुर,तेतरिया, पूर्वी चंपारण	सदस्य
५.	श्री अरुण पासवान	मनियारपुर,तेतरिया, पूर्वी चंपारण	सदस्य

NIRMAN KENDRA ★ MUZAFFARPUR

Secretary